दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 11 मई 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 223

महत्वपूर्ण एवं खास

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, 3 की मौत

रायगढ़ (आरएनएस)। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर एक सडक़ हादसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। घायलों में चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा रायगढ़ जिले के खोपोली बोरघाट के पास मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो को टक्कर मार दी, वहीं टेंपो वैन से जा टकराया। इस वजह से यह भीषण हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिससे वह अनियंत्रित होकर टेम्पो से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हाईवे सेफ्टी पेट्रोलिंग पुलिस को हादसे की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 11 घायल यात्रियों को इलाज के लिए नवी मुंबई स्थित एक अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने एक महिला समेत तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। चार यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। खोपोली पुलिस इस दर्दनाक हादसे की जांच कर रही है।

ट्रक ने कार में मारी टक्कर, 3 दोस्तों की मौत

भागलपुर (आरएनएस)। बिहार में भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर मकनपुर चौक का पास ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तीन दोस्त एक कार पर सवार होकर पूर्णिया से आ रहे थे, तभी मकनपुर चौक का पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। वाहनों की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टकराने के बाद कार की छत उड़ गई। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान भवानीपुर निवासी मनोज यादव (30), कैपिस्टर यादव (32) और खगडिय़ा निवासी प्रभाकर यादव (28) के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अतीक-अशरफ हत्याकांड : टली सुनवाई, कोर्ट में नहीं हाजिर हुए गवाह, 24 मई को होगी अगली पेशी

प्रयागराज (आरएनएस)। अस्पताल परिसर में मारे गए अतीक अहमद और भाई अशरफ की हत्या मामले में होने वाली सुनवाई फिर एक बार टल गयी है। अगली सुनवाई 24 मई को होगी। मामले में तीनों आरोपित शूटर चित्रकूट जेल में बंद है। जिनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में कराई गयी। बहुचर्चित अतीक अशरफ हत्याकांड के विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को जिला न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। हत्याकांड के तीनों आरोपी लवलेश तिवारी सनी उर्फ मोहित सिंह और अरुण मौर्य की पेशी चित्रकूट जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के पेश हुए। तीनों शूटरो पर हस्ताक्षर कराए जाने के लिए कोर्ट से आदेश जेल भेज चुका है। शुक्रवार को पेशी के दौरान फिर एक बार गवाह पेश नहीं हो सके। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी के मुताबिक पूर्व तारीख पर गवाह पेश नहीं हो पाए थे। इसलिए अदालत ने गवाही के लिए 10 मई की तारीख दी थी। आज सुनवाई फिर टल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मई को की जाएगी।

ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खुले, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा

रुद्रप्रयाग। आरएनएस

विश्वप्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग केदारनाथ धाम के कपाट जय बाबा केदारनाथ के उदघोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजीमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच इस यात्रा वर्ष शुक्रवार को ठीक 7 बजे विधि-विधान से खुल गए हैं। इस मौके पर दस हजार से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

सीएम ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों की सभी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सात हजार से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर आसमान से हैलीकाप्टर से पुष्पवर्षा की गई।

मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम समिति ने श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह भंडारे भी आयोजित किए गए। केदारनाथ में मौसम भी साफ है।

कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत गुरुवार शाम को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति पंचकेदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से विभिन्न पड़ावों गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंची थी।

शुक्रवार तडक़े चार बजे से मंदिर परिसर और दर्शन पंक्ति में यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके बाद बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, रावल भीमाशंकर लिंग, मुख्यकार्याधिकारी योगेंद्र सिंह पुजारी, धर्माचार्य वेदपाठी तथा केदार सभा के पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी डा. सौरभ गहरवार प्रशासन के अधिकारी पूरब द्वार से मंदिर पहुंच गए।

उसके पश्चात रावल धर्माचार्य तथा पुजारी गणों ने द्वार पूजा शुरू की। ठीक सुबह सात बजे बजे केदारनाथ धाम के कपट खोल दिये गये। कपाट खुलने के बाद भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रूप दिया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू किये।

कपाट खुलने के अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बीते यात्राकाल में रिकॉर्ड तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी।

कार्यक्रम के अनुसार 6 मई को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भगवान भैरवनाथ की पूजा हुई थी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोगमूर्ति 9 मई को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंची थी। 10 मई को ठीक प्रात:7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिये गए।

बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया गया कि 11 मई को केदारनाथ धाम में श्री भकुंट भैरव मंदिर के द्वार खुलने के साथ केदारनाथ मंदिर में आरतियां एवं संध्याकालीन आरतियां शुरू हो जाएंगी।

आज कपाट खुलने के समय हक-हकूकधारी सहित केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी शिवशंकर लिंग, संस्कृति एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट, मंदिर समिति सदस्य श्रीनिवास पोस्ती, वीरेंद्र असवाल, मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह, कार्याधिकारी आरसी तिवारी, धर्माचार्य औकार शुक्ला, वेदपाठी यशोधर मैठाणी, विश्व मोहन जमलोकी स्वयंवर सेमवाल, प्रदीप सेमवाल, अरविंद शुक्ला, कुलदीप, देवानंद गैरोला आदि मौजूद रहे।

अक्षय तृतीया पर पूरे विधि विधान के साथ खुले यमुनोत्री धाम के कपाट

उत्तरकाशी (आरएनएस)। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2024 का शुक्रवार से शुभारंभ हो गया। अक्षय तृतीया पर सबसे पहले सुबह केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद चारधाम यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री धाम के भी कपाट 10 बजकर 29 मिनट पर पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। शीतकालीन पड़ाव खरसाली खुशीमठ स्थित यमुना मंदिर में पूजा अभिषेक किया गया। उसके बाद खरसाली से ढोल-दमाऊ की थाप और जयकारों के साथ सुबह सवा छह बजे मां यमुना की डोली अपने भाई शनि महाराज की डोली के साथ धाम के लिए रवाना हुई। धाम पहुंचते ही मां यमुना की विशेष पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में 10:29 बजे धाम के कपाट खोले गए। मां यमुना की डोली जानकीचट्टी से पांच किमी का पैदल मार्ग तय कर यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां पूरे विधि विधान के साथ मां यमुना की विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई। इसके बाद विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में ठीक 10:29 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया, साथ ही धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने गर्म जल कुंडों में स्नान कर मां यमुना के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया।

टाटा स्टील के बिजनेस हेड की हत्या और लूट मामले में वांछित बदमाश की मुठभेड़ में मौत

गाजियाबाद। आरएनएस

गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में शुक्रवार को पुलिस और दो बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। चार मई को हुई टाटा स्टील के नेशनल बिजनेस हेड के साथ लूटपाट और उसकी हत्या के मामले में बदमाश वांछित चल रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 10 मई को थाना साहिबाबाद इलाके में पुलिस एवं दो बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त एवं एक उप निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसे तुरन्त ही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान एक बाइक सवार बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। उसे पकडऩे के लिए पुलिस कांबिंग कर रही है। पुलिस ने बताया कि भर्ती हुए बदमाश की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसका नाम अक्की उर्फ दक्ष है जो सीलमपुर दिल्ली का रहने वाला था। चार मई को थाना शालीमार गार्डन इलाके में हुई लूट एवं हत्या की घटना में वह वांछित था। उसके कब्जे से एक लूटा हुआ मोबाइल फोन एवं एक अवैध असलाह बरामद किया गया है। गौरतलब है कि गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाले विनय त्यागी 3 मई की रात 11 बजे तक जब अपने घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने खोजना शुरू कर दिया। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। सुबह 3 बजे के आसपास घर से 3 किलोमीटर दूर सडक़ के किनारे उनका शव मिला। उन्हें समय पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया था कि विनय त्यागी का लैपटॉप, मोबाइल और पर्स गायब है। जिसके बाद बदमाशों की तलाश की जा रही थी।

ईडी ने कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के दो कर्मी समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार

❐-जमीन घोटाला मामला

रांची। आरएनएस

रांची जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के दो कर्मी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार लोगों में हजारीबाग के मुंशी डीड राइटर मो. इरशाद, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार शामिल हैं।

इन तीनों पर रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन सहित कई भू-खंडों के फर्जी डीड तैयार करने के आरोप हैं। जांच में सामने आया कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस जमीन को अवैध तरीके से हासिल करने के आरोप में हुई है, उसका भी फर्जी डीड इन लोगों ने मिलकर तैयार किया था।

ईडी की टीम तीनों आरोपियों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर रांची लाई। तीनों को शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। जहां ईडी अदालत से तीनों को तीन रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का आग्रह करेगी।

बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी ने 2023 में छापेमारी कर बड़ी संख्या में फर्जी डीड बरामद किए गए थे। जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इनमें से कई जमीनों के मूल दस्तावेज कोलकाता स्थित रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के ऑफिस से गायब कर जमीन माफिया को दिए गए थे। इसके बाद इन दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर फर्जी डीड तैयार किए गए। इसके एवज में रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस कर्मी तापस घोष को 21 लाख और संजीत कुमार को 8 लाख रुपए दिए गए थे। दस्तावेजों में बदलाव करने का जिम्मा हजारीबाग के डीड राइटर मो. इरशाद को दिया गया और उन्हें भी इसके लिए 8 लाख रुपये दिए गए थे। फॉरेंसिक जांच में भी फर्जी डीड तैयार किए जाने की पुष्टि हो चुकी है।

बता दें कि जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गाईं के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी कागजात तैयार करने के मास्टरमाइंड अफसर अली सहित एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

धन शोधन मामले में हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। आरएनएस

उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में तीन माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को भी कोई राहत नहीं दी और कहा कि उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर वह अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में तीन मई के उच्च न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते कहा कि सोरेन की अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में दायर याचिका (सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रहने की अवधि को देरी का आधार बनाकर दायर की गई थी) का अब कोई अर्थ नहीं रहा। पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर उस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली सोरेन की गुहार पर वह अगले सप्ताह विचार करेगी।

झारखंड उच्च न्यायालय ने सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका तीन मई को खारिज कर दी थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। साथ ही, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उच्च न्यायालय यदि चाहे तो छह मई से शुरू होने वाले सप्ताह से पहले कोई आदेश पारित कर सकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 अप्रैल को यह आदेश पारित करते हुए इस मामले को तब अगले छह मई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में तब कहा था कि इस बीच (छह मई से शुरू होने वाले सप्ताह के अंदर) झारखंड उच्च न्यायालय (जिसने इस मामले में 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था) चाहे तो कोई आदेश पारित कर सकता है।

दो सदस्यीय शीर्ष अदालत की इस पीठ के समक्ष 28 अप्रैल को पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 24 अप्रैल को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन का पक्ष रखते हुए उनकी ओर से अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। सिब्बल ने पीठ के समक्ष 'विशेष उल्लेख' के दौरान कहा था कि इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय ने 27 और 28 फरवरी को की थी, लेकिन अभी तक (24 अप्रैल) कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

पीठ के समक्ष उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश पारित कराने में देरी का मतलब यह होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहेंगे। उन्होंने दलील दी थी कि उच्च न्यायालय की ओर से इस मामले में कोई आदेश पारित करने में देरी के बाद सोरेन ने अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।

ईडी ने 31 जनवरी 2024 को सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के मद्देनजर उसी दिन उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। राज्य की एक विशेष अदालत ने एक फरवरी को उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई। उन्होंने तब राहत की गुहार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। उनकी याचिका दो फरवरी को खारिज कर दी गई थी।

अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

नईदिल्ली। आरएनएस

कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। चुनावों के बीच इसे केजरीवाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आखिरी सुनवाई 7 मई को हुई थी। तब सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा था, 2 साल में 1,100 करोड़ हो गया? आपने कहा कि अपराध की आय 100 करोड़ थी, यह 1,100 करोड़ कैसे हो सकती है? पूरी के पूरी आय अपराध की आय कैसे हो सकती है।इसके अलावा उन्होंने जांच में देरी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर भी सवाल उठाए थे। दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। इसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की।बाद में ईडी भी जांच में शामिल हो गई। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें नीति के जरिए लाभ पहुंचाया और शराब के ठेके दिए।

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, दो दोषी करार, तीन आरोपियों को किया बरी

पुणे। आरएनएस

महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है. पुणे की अदालत ने नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला लेते हुए दो को दोषी करार दिया है. जबकि तीन आरोपियों को बरी किया गया है. विशेश कोर्ट ने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लडऩे वाले कार्यकर्ता डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या केस में 11 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है. इस हत्या दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. जबकि मास्टरमाइंड डॉ. वीरेंद्र तावड़े समेत दो आरोपी वकील संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को अदालत ने बरी किया है. इसके पीछे सबूतों का अभाव को बड़ी वजह बताया गया है.

पुणे की विशेष कोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी शरद कालस्कर और सचिन एंडुरे को दोषी करार दिया. इन दोनों ही आरोपियों को कोर्ट ने लाइफटाइम इम्प्रिजरमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही इन दोनों पर ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर करने निकले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर पर 20 अगस्त 2013 को दो लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को आरोपी बनाया था. इसी मामले में 11 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. ये फैसला गैरकानूनी गतिविधियों अधिनयम से जुड़े केस की स्पेशल कोर्ट के एडिशनल जज ए ए जाधव ने अपना फैसला सुनाया है.

बता दें कि इस मामले की शुरुआत जांच पुणे पुलिस कर रही थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था. जून 2016 में हिंदू दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े डॉ. वीरेंद्र सिंह तावड़े को अरेस्ट किया गया था. अभियोजन पक्ष के मुताबि तावड़े ही इस पूरे मामले में साजिशकर्ता था.

दरअसल नरेंद्र दाभोलकर की संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से किए कामों का विरोध करती थी. इसी संस्था से तावड़े और कुछ अन्य आरोपी भी ताल्लुक रखते थे. इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने भगोड़े सारंग अकोलकर और विनय पवार को शूटर करार दिया था.

कोई माई का लाल नहीं जो देश से आरक्षण हटा सके : राजनाथ सिंह

दुमका। आरएनएस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को झारखंड के दुमका में चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा कि कोई माई का लाल नहीं है, जो देश से आरक्षण हटा सके। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वे आरक्षण को लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं।

दुमका सीट से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन के नामांकन के बाद यज्ञ मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ईडी-आयकर के छापों में करोड़ों रुपए की बरामदगी की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने यह रकम गरीब जनता का खून पीकर इक_ा किया है।

उन्होंने जनता से कहा कि आप इस चुनाव में इनकी लूट का बदला लीजिए। उन्हें अपने वोट के जरिए सजा दीजिए।

उन्होंने झामुमो-कांग्रेस की झारखंड सरकार पर आदिवासियों के स्वाभिमान और सम्मान को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पर प्रहार करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी एवं मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्री गरीबी हटाने का राग अलापते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मोदी जी का संकल्प और हमारी पार्टी का फैसला है कि हम एक भी व्यक्ति को देश में गरीब नहीं रहने देंगे।

मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इतने बड़े देश में प्रत्येक व्यक्ति को कोविड के दो से तीन टीके मुफ्त लगे, जबकि अमेरिका जैसा समृद्ध देश भी ऐसा नहीं कर सका।

उन्होंने कहा कि दुनिया में धन-दौलत के मामले में हमारा देश दस साल पहले 11 वें स्थान पर था। मनमोहन सिंह दस साल पीएम रहे, लेकिन हमारा रैंक वहीं रहा। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश अर्थव्यवस्था के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंच गया। आज अर्थव्यवस्था के बड़े जानकार कहते हैं कि भारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सारी दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान हमारा होगा।

कांग्रेस की सरकारों पर महान आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की उपेक्षा का आरोप मढ़ते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पहली बार उनकी जयंती 15 नवंबर को मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। कांग्रेस-झामुमो के लोग केवल झूठ बोलकर और आंखों में धूल झोंककर राजनीति करते हैं, जबकि हम राजनीति केवल सरकार नहीं, देश और समाज बनाने के लिए करते हैं।

उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को निराधार बताया कि केंद्र की सरकार ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है। हमारी सरकार ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी की हो, उसके कार्रवाई होनी चाहिए।